


In the course of field office at Deogarh
 certified copy of final order sheet of M.C. No-326/16-17
 order dated 06-08-16 Applicant Name: Menik Kumar Lal
 Date of Application 06-08-16 Date of filing 22-08-16 देश Date of ready 23-08-16 Date of delivery 24-08-16

C.F. No-670

अभिलेख उपस्थापित। प्रस्तुत वाद आवेदक/आवेदिका श्री मनीष कुं. लाल
 पिता- बालकृष्ण को निवेदिता कुं. लाल पति- श्री मनीष कुं. लाल
 साकिन 68/80 नई काफ़ी ए. ए. ए. सार्वजनिक मं. दि. के पास का. नं. 1-3, साकिन
 जिला जमशेदपुर द्वारा दाखिल आवेदन पर प्रारम्भ किया गया। आवेदक/आवेदिका
 मौजा सा. नं. 60767, थाना सं. 582
 जमाबन्दी संख्या 603, 6121, रकबा 3112 काँची
 का नामान्तरण हेतु आवेदन दाखिल की है। दाखिल आवेदन के आधार पर सम्बन्धित हल्का
 कर्मचारी को अंचल निरीक्षक से स्थानीय वी राजस्व अभिलेखों का जाँच कराकर प्रतिवेदन प्राप्त
 किया गया। तत्पश्चात् सोलह आना रैयत को आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ। हल्का कर्मचारी को अंचल
 निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन तथा दाखिल कागजात के अनुसार आवेदक/आवेदिका द्वारा नामान्तरण
 हेतु प्रस्तोहित जमीन निबन्धित केवाला संख्या 460, दिनांक 15-6-16
 द्वारा प्राप्त कर शान्तिपूर्ण दखलदार हैं। विषयगत जमीन बसौड़ी सत्व की है तथा भू-दान, लीज
 एवं भू-हदबन्दी से मुक्त है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक विषयगत जमीन का नामान्तरण
 आवेदक/आवेदिका के नाम से स्वीकृत करने हेतु अनुशंसा की है एवं अंचल अमीन ने भी नामान्तरण
 की अनुशंसा की है।



अतः हल्का कर्मचारी को अंचल निरीक्षक की अनुशंसा, निबन्धित केवाला, शान्तिपूर्ण
 दखल कब्जा एवं अनापत्ति के आधार पर मौजा सा. नं. 60767, थाना
 सं. 582, जमाबन्दी सं. 603, 6121, धरा नं. T-P. 809
 रकबा 3112 काँची का नामान्तरण आवेदक/आवेदिका श्री मनीष कुं. लाल
 पिता- बालकृष्ण को निवेदिता कुं. लाल पति- श्री मनीष कुं. लाल
 साकिन 68/80 नई काफ़ी ए. ए. ए. सार्वजनिक मं. दि. के पास का. नं. 1-3, साकिन
 जिला जमशेदपुर के नाम से दी जाती
 है। अनुशंसित लगान 15-00 60 अलावे सेस बसूलनीय होगा। आवेदक/आवेदिका
 से 5-00 रुपये ना० शुल्क प्राप्त करें। कार्यवाह सहायक शुद्धि पत्र
 निर्गत करें तथा अनुपालन हेतु हल्का कर्मचारी को हस्तगत करावें।

माफिर 24/8/16 - 1585080
 दिनांक 22-8-16 द्वारा नामान्तरण
 शुल्क व नोच्य अस्तित्वात् (24/8)

टीकेत कराया एवं शुद्ध किया।

सच्ची प्रमाणित प्रतिलिपि
 19/7/2016
 24-8-16
 प्रधान सहायक
 अंचल कार्यालय, देवघर
 1872 के अधिनियम 1 की धारा
 76 के अन्तर अधिकृत।

अंचल अधिकारी,
 देवघर।
 मिलान किया

अंचल अधिकारी,
 देवघर।

नकल किया
 24-8-16

24/8/16

ATTESTED
 R. K. DEO

17/08/18